न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 82/2023 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2023/103**

1. दयाराम पुत्र स्व. कृष्णलाल
2. रामी देवी पत्नी स्व. कृष्णलाल

} जाति जाट निवासी रतनीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

3. आशी देवी पत्नी श्रवणराम जाति जाट निवासी ग्राम रतनीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. वेदप्रकाश
3. राकेश
4. रणवीर

} पुत्रगण गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी रतनीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

5. रामरतन पुत्र भागीरथ जाति ब्राहम्ण निवासी अर्जुनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
6. यशपाल पुत्र छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी हिसार हरियाणा।
7. सतपाल पुत्र छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी हिसार हरियाणा।
8. लाभसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी पैरो तहसील व जिला मानसा, पंजाब।
9. रेणूदेवी पत्नी माणकचंद जाति शर्मा निवासी बीकानेर।
10. नथुराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. बलवंतसिंह पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. देवीलाल पुत्र श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी रतनीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) उप तहसील महाजन जिला बीकानेर।
14. रामकुमार पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी रतनीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः श्री एस.एन तिवाड़ी एवं अभिभाषक अपीलांट्स
श्री विनोद पुरोहित
श्री राजेश बैद अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5
अनुपस्थित श्री चन्द्रशेखर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 10,11,12
श्री देवेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 14,

निर्णय

दिनांक 14.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 06.10.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक भंवरिया मुरब्बा नंबर 64, 51, 52, 53, 49, 55, 54 में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के आदेश दिनांक 15.03.2023 द्वारा अपीलांट्स की मुरब्बा नंबर 53, 49 की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के उक्त आदेश दिनांक 15.03.2023 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय ने उक्त अपील का निर्णय करते हुए अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का आदेश दिनांक 15.03.2023 को अपील अपीलांट की हद तक निरस्त कर सभी पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में सुनवाई करते हुए अपीलांट की उक्त वादगत भूमि में से गैर मुमकिन सड़क दर्ज करने के आदेश पुनः जारी कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2023 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट संख्या 1, 2 एवं गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि वाके रोही चक भंवरिया के खसरा नंबर 53 तादादी 11.38 हैक्टयर व अपीलांट संख्या 3 की कृषि भूमि इसी चक के खसरा नंबर 49 तादादी 5.82 हैक्टयर में स्थित हैं। चक भंवरिया में पंच्चासों वर्ष पुराना एक रास्ता ग्राम जसवंतनगर से होकर चक भंवरिया से होते हुए चल रहा था जो अपीलांट संख्या 3 की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 49 की दक्षिणी खुंट के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किनारे से होकर अपीलांट संख्या 1, 2 के खसरा नंबर 53 में से होकर चल रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर चल रहे रास्ते के विपरित मौके पर चालू रास्ता नही होते हुए भी नया रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान किया है जो अपीलांट के खसरा नंबर 49 व 53 में से अपीलांट की भूमियों को दो टुकड़ों में बांटता है। आदेश जेर अपील द्वारा स्वीकृत रास्ते की जगह अपीलांट के कुएं व ढाणी विधमान है, मौके पर कोई रास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना–पत्र के साथ–साथ पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका एवं नजरी नक्शा के अनुसार आदेश जैर अपील की आड में मौका एवं राजस्व मानचित्र में एवं रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांट की कृषि भूमि दो हिस्से में विभक्त हो जावेगी। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पेशी में लेने के पश्चात दिनांक 10.07.2023 को सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किये गए। जिसके पश्चात अपीलांट हाजिर हुए। दिनांक 08.09.2023 को रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश हाजिर हुआ। दिनांक 27.09.2023 को ओमप्रकाश व नत्थुराम द्वारा यह बताया गया कि खेतों में दो रास्ते है। एक रास्ता दिया जावें। अन्य पक्षकरों की एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 03.10.2023 को बहस सुनकर निर्णय 06.10.2023 का वही निर्णय प्रदान कर दिया, जो पूर्व में 15.03.2023 को दिया गया था। इस निर्णय को करते समय क्या–क्या आधार रह उनका विश्लेषण नही किया गया। अन्य खातेदार नत्थुराम वगैरह ने अपने जवाब में दो रास्ता होने का अंकन किया है। उस पर भी कोई विचार नही किया गया। काननून एक ही भूमि में से दो रास्ते प्रदान नही किया जा सकते है। तहसीलदार की रिपोर्ट जो एसडीओ का दिनांक 08.02.2023 को प्रस्ताव सहित भेजी गई उसमे उपरोक्त रास्ते को 50–55 वर्षो से चलता हुआ बताया गया जबकि दिनांक 07.02.2023 को पटवारी हल्का द्वारा जो फर्द मौका बनाया गया उसमें 20 वर्षो का अंकन किया गया है। यानि सब कुछ तहसील कार्यालय में बैठकर विपक्षी गणों के दबाव में कार्य किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रुप (6) विभाग के क्रमांक प. 3(26)राजस्थान/राज–6/2022/13 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा निम्न प्रावधान किये गए है जिसके तहत ''रास्ते के संबंध में पारित आदेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जिस काश्तकारी जोत से होकर रास्ता दिया जाना है उस काश्तकार को भूमि काश्त करने में कोई असुविधा/आपति ना हो एवं दिया जाने वाला रास्ता उसकी जोत की मोड़ से होकर दिया जावें।'' उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी रास्ता खेतों के बीच में से प्रदान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पहले से चल रहे रास्ते के विपरित जाकर अपने आदेश द्वारा एक नया रास्ता जो विपक्षीगणों की सुविधा हेतु विपक्षीगण द्वारा चाहा गया था, प्रदान कर दिया। उक्त रास्त अपीलांट के खेतों के बीच में से निकाले जाने के आदेश दिये गये। जो इस परिपत्र की भावना के विपरित होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2023 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत कें संबंध में प्रकरण में आदेश जैर अपील दिनांक 06.10.2023 श्रीमान द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पारित आदेश है जिसके तहत श्रीमान के आदेश दिनांक 13.06.2023 में अपीलांट्स की हद तक अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण बाद सुनवाई पुन निर्णीत करने हेतु निर्देश प्रदान किये थे जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रिमांड प्रकरण में सभी पक्षकारान को नोटिस दियें। लेकिन अपीलांट के अलावा रेस्पोडेन्ट नं. 10 नत्थूराम ही उपस्थित हुआ। अपीलांट्स जो कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 04 व 05 थे, ने अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं यह निवेदन किया कि हमारे खेतों में कटानी रास्ता नही है, भाईचारा का रास्ता चल रहा है जो चालीस पचास वर्षो से चालू है तथा मौके पर चल रहे रास्ते को जमा देने में कोई ऐतराज न होना जाहिर किया। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट नंबर 10 जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आप्रार्थी संख्या 06 था तथा उसकी भूमि खसरा नंबर 55 में से रास्ते का अंकन करते हुए सहमति व्यक्त की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनकर एवं नायब तहसीलदार के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में स्वीकृत रास्ते के अंकन को सही पाया एवं यह भी व्यक्त किया कि अपीलांट्स की वादगत भूमि खसरा नंबर 53 व 49 के आगे व पीछे रास्तों का अंकन आदेश दिनांक 06.10.2023 से किया जा चुका हैं। तथा इन दोनों खसरों में से रास्ता उसी अनुरूप चल रहा है व दर्ज करने के आदेश दिये है जिससे खसरा नंबर 53 व 59 के आगे व पीछे चल रहे स्वीकृत सुदा रास्ते से मिलान हो सके। इस प्रकार आदेश जैर अपील पूर्णतया विधि सम्मत है। अपीलाट्स की अपील में कहीं भी उक्त प्रचलित व अंकन किए हुए रास्ते से भिन्न कोई रास्ता चलना साबित नही किया है। इस कारण अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर ने अपने आदेश दिनांक 15.03.2023 ने अपीलांट्स की वादगत भूमि में से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 15.03.2023 के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलांट ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की। इस न्यायालय ने उक्त प्रथम अपील का निर्णय करते हुए अपील आंशिक स्वीकार कर उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर सभी पक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 15.03.2023 यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर ने ना तो संबंधित तहसीलदार और ना ही संबंधित हल्का पटवारी से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त की है और ना ही प्रकरण से संबंधित पक्षकारों के जवाब प्रार्थना–पत्र एवं सहमति पत्र पर कोई निर्णय लिया हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में पुनः एकतरफा आदेश पारित किया हैं। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2023 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर